न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

बी.पी. 1281/2026

भगवान बाजार थाना कांड सं0 485/2026

अंतर्गत धारा 137(2),140(3) बी.एन.एस.

प्रिंस कुमार..... .....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता–श्री मुनीलाल प्रसाद

विपक्षी की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री ध्रुवदेव सिंह

उपस्थित–अनुराग कुमार त्रिपाठी

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

14.07.2026 काराधीन अभियुक्त प्रिंस कुमार की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचिका का आरोप है कि दिनांक 16.06.2026 को उसकी पुत्री अंशिका कुमारी को प्रिंस कुमार अपहरण करके ले गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक द्वारा द्वारा कोई अन्य जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। अपहृता बालिग है दोनों पक्ष पट्टीदार हैं। उभयपक्ष में जमीनी विवाद है। आवेदक स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है और उसी समय दिनांक 12.06.2026 से कारा अभिरक्षा में है। आवेदकगण उचित जमानतदार देने को तैयार हैं। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से इसका विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदक का एक आपराधिक इतिहास है। आवेदक द्वारा दाब तथा लात घुसा से मारकर गंभीर जख्म कारित किया गया है। मामला जमानत योग्य नहीं है।

कांड दैनिकी का अवलोकन किया गया। अपहृता बालिग है।

उसने न्यायालय के समक्ष धारा 183 बी.एन.एस.एस एवं धारा 180 बी.एन.एस.एस. के कथन में कहा है कि वह अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ प्रेम विवाह किया है। उसका अपहरण नहीं हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते मामला जमानत योग्य पाया जाता है। उपरोक्त आवेदक अभियुक्त को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर 10,000 (दस हजार) रुपये एवं समान राशि के दो प्रतिभु द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर द0प्र0स0 की धारा 437(3) एवं 441(ए) के शर्तो के अधीन जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त का एक जमानतदार परिवार का सदस्य होगा।

लेखापित

(अनुराग कुमार त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।

.